



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 26, गुरुवार, शाके 1937-सितम्बर 17, 2015

Bhadra 26, Thursday, Saka 1937-September 17, 2015

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 16, 2015

जी.एस.आर 91 :- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2012 के नियम 5 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 28 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा घोषित करती है कि उपापन के निम्नलिखित प्रकारों में इलेक्ट्रॉनिक उपापन का अंगीकरण अनिवार्य होगा, अर्थात् :-

1. पच्चीस लाख रुपये या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले माल और सेवाओं के उपापन।
2. दस लाख रुपये या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले संकर्मों के उपापन।

[संख्या एफ.1(8) एफ.डी./जी.एफ. एण्ड ए. आर./2011]

राज्यपाल के आदेश से,

सिद्धार्थ महाजन,

विशिष्ट शासन सचिव।

FINANCE (G&T) DEPARTMENT
NOTIFICATION

Jaipur, September 16, 2015

G.S.R. 91:- In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 28 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 5 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government hereby declares that the adoption of

electronic procurement shall be compulsory in following types of procurement, namely:-

1. Procurement of Goods and Services having estimated value of rupees twenty five lakhs or more.
2. Procurement of Works having estimated value of rupees ten lakhs or more.

[No. F 1(8)/FD/GF&AR/2011]

By Order of the Governor,

Siddharth Mahajan,

**Special Secretary to the
Government.**

Government Central Press, Jaipur.

Validity
unknown

Digitally
signed by
Bhatnagar
Rajesh
Date: